पेशी दिनांक 12-5-23
नियत की जाती है।

पीठासीन अधिकारी कानून व्यवस्था/प्रोटोकॉल ड्यूटी में व्यस्त होने के कारण दिनांक 12-5-23 के राजस्व मुकदमात में अगली तारीख पेशी दिनांक 12-5-23 नियत की जाती है।

पीठासीन अधिकारी महकमा/कानून व्यवस्था/प्रोटोकॉल ड्यूटी में व्यस्त होने के कारण दिनांक 12-5-23 के राजस्व मुकदमात में अगली तारीख पेशी दिनांक 21-7-23 नियत की जाती है।

21/7/23 पत्रावली आज पेश हुई। वादी वकील अनुपस्थित। न्यायालय समय में एक घंटे कर बार-बार आवाजें लगायी गयी। ना तो वादी वकील और ना ही स्वयं वादी उपस्थित हुये। अतः पत्रावली सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 3 (अवसर देकर अवसर हाजरी) के तहत खारिज की जाती है। अतः पत्रावली [illegible] से कम की [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Upendra Kumar Sharma
Date: 2023.08.21 15:29:39 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
[illegible]